न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 23/2021
दायर दिनांक : 14.12.2021
निर्णय दिनांक : 09.10.2025

उनवान

1. किशोरीबाई पत्नी स्व. बेणीराम जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
2. भैरूलाल पुत्र स्व. बेणीराम जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
3. शोभालाल पुत्र स्व. बेणीराम जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपी पत्नी गंगाराम जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
2. कंकू पत्नी उंकार जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
3. गणेश पिता कालू जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
4. शंकर पिता कालू जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
5. किशन पिता हजारी जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
6. प्रकाश पिता हजारी जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :1. श्री रामलाल गुजर, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच, अधिवक्ता अप्रार्थी

:: निर्णय ::

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जिसके संक्षित में तथ्य इस प्रकार है कि :

यह है कि मुझ प्रार्थीगण की खातेदारी एवं आधिपत्य, उपयोग, उपभोग व कब्जे काश्त की आराजियात गांव निलोद पटवार हल्का, निलोद तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित है। जिसके हाल आ.सं. 756 रकबा 0.52 है., आ.सं. 757 रकबा 0.04 है., आ.सं. 759 रकबा 0.30 है. कुल किता 3 रकबा 0.86 है. स्थित है, सबूत में हाल जमाबंदी नक्शा नक्शा ट्रेस संलग्न है। कॉलम सं. 1 में वर्णित प्रार्थीगण की आ.सं. 756, 757, 759 में आने जाने एवं पहुंचने के लिये आ.सं. 741, 758 की उत्तर दिशा की मेड पर होकर प्रार्थीगण की आ.सं. 756, 757, 759 में पहुंचकर कृषि कार्य व उपयोग उपभोग अपने बाप दादाओं के समय से ही करते आ रहे हैं जो उक्त रास्ता राजस्व नक्शा ट्रेस में डोट डोट के निशान से दर्शाया गया है। कॉलम सं. 2 में वर्णित प्रार्थीगण की आराजियात में अपने बाप दादाओं के समय से ही अप्रार्थीगण की आ.सं. 741, 758 की उत्तरी दिशा की मेड पर होकर खाली भरी बैलगाडी, मवेशी, कृषि औजार व ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने व कृषि फसल के बोने व अन्य कार्य तथा फसल उपज लाने प्रार्थीगण अपनी आराजियात में फसल बुवाई कर काश्त करते चले आ रहे हैं मगर अप्रार्थीगण ने दिनांक 13.10.2021 को प्रार्थी उक्त वर्णित आराजियात में चना बुवाई करने क लिऐ अपनी आराजियात में अप्रार्थीगण की आ.सं. 741? 758 में होकर जाने लगे तो अप्रार्थीगण ने आने जाने के लिसे मना कर दिया और प्रार्थीगण को मां बहनों की गाली गलोच कर लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये और अप्रार्थीगण ने धमकी दी कि आयन्दा हमारी उक्त आराजी 741, 758 की उत्तरी दिशा की मेड पर होकर गये तो तुम लोगों को जान से ही खतम कर देंगे। प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजियात पर ही आश्रित होकर फसल काश्त कर अपना भरण पोषण करते हैं एवं अप्रार्थीगण की आ.सं. 741, 758 की उत्तरी दिशा की मेड का रास्ता ट्रेक्टर द्वारा दिनांक 13.10.2021 को हंकाई जुताई करके पत्थर के खम्भे खडे कर उस पर कांटेदार तार व जाली लगाकर बंद कर दिया है। इस कारण प्रार्थीगण को अपने आराजियात में आने जाने के लिए किसी भी दिशा से रास्ता उपलब्ध नहीं है जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजियात का उपयोग उपभोग कर फसल काश्त भी नहीं कर पा रहे हैं एवं अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजियात का रास्ता अवरूद्ध कर प्रार्थीगण की आराजियात पर भी जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं। प्रार्थीगण की आराजियात में आने जाने व फसल काश्त करने अप्रार्थीगण की आराजियात सं. 741, 758 की उत्तरी दिशा की मेड के अलावा प्रार्थीगण की अपनी आराजियात में आने जाने के लिये सबसे लघुतम रास्ता यही है तथा वर्तमान में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को उक्त रास्ते के लिये डी.एल.सी. दर या श्रीमान् के आदेशानुसार रास्ते की भूमि की क्षतिपूर्ति की राशि जमा कराने के लिये तैयार हैं। अतः पक्ष प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का आदेश जारी फरमाया जावे कि कॉलम सं. 1 में वर्णित प्रार्थीगण की आ.सं. 756, 757, 759 में आने जाने व खाली भरी बैलगाडी लाने ले जाने के लिए फसल काश्त करने के लिए अप्रार्थीगण की आ.सं. 741, 758 की उत्तरी दिशा की मेड पर रिकॉर्ड में रास्ता कायम

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.29 13:28:43 IST
Reason: Self Attested

करके अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थीगण को अपनी आराजियात में आने जाने के लिए नहीं रोके।

1. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच ने अधिकार पत्र पेश किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण में तहसीलदार भूपालसागर से बिन्दुवार रिपोर्ट मंगवाई गई।
2. प्रकरण में वकील प्रार्थी, वकील अप्रार्थी की बहस सुनी। प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता पास की खातेदारी आराजी से रास्ता दिया जाने हेतु निवेदन किया।
3. हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार भूपालसागर से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :—

(1) क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हां तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांबदी)

प्रकरण में तहसीलदार भूपालसागर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम निलोद के आ.सं. 756, 757, 759 किता 3 रकबा 0.86 है. में आने जाने बाबत आ.सं. 741 व 758 में होकर निकटतम मार्ग है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता व निकटतम मार्ग नहीं है।

(2) यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण —पत्र प्रस्तुत करावें।

तहसीलदार, भूपालसागर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम निलोद के आ.सं. 756, 757, 759 में आने जाने बाबत आ.सं. 741 व 758 में होकर निकटतम मार्ग है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता व निकटतम मार्ग नहीं है।

(3) यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।

रिपोर्ट तहसीलदार, भूपालसागर दिनांक 30.05.2024 मौका पर्चा व नक्शा ट्रेस संलग्न है।

(4) यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

—रिपोर्ट तहसीलदार, भूपालसागर दिनांक 30.05.2024 संलग्न है।

(5) सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

तहसीलदार, भूपालसागर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आ.सं. 741 में से 5 मीटर चौडा लम्बाई 92 मीटर 460 वर्गमीटर एवं आ.सं.च 758 में से 5 मीटर चौड़ा व 72 मीटर लम्बा 360 वर्गमीटर कुल रास्ता भूमि 820 वर्गमीटर रास्ते हेतु प्रस्तावित की है। वर्तमान डी.एल.सी. दर 13,66,856 रूपये प्रति है0 से रकबा 820 वर्गमीटर की मालियत 1,12,083 रूपये बनती है। जिसका दुगुना करने पर कुल राशि 2,24,166 रूपये होती है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला

कमिश्नर से प्राप्त उक्त रिपोर्ट्स अनुसार प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध करवाया जाने के लिये उक्त प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि निलोद पटवार हल्का निलोद तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न. 756, 757, 759 है। प्रार्थी की आराजीयात में आने जाने हेतु अप्रार्थी की आ.सं. 741 व 758 में से रास्ता चाहा हैं। रास्ता दिये जाने में तहसीलदार भूपालसागर द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है व सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagonya
Date: 2025.10.29 13:28:43 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा निलोद पटवार हल्का निलोद तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी नं. 756, 757, 759 में आने जाने हेतु अप्रार्थी की आ.सं. 741, 758 में से आ.सं. 741 में से 5 मीटर चौडा लम्बाई 92 मीटर 460 वर्गमीटर एवं आ.सं.च 758 में से 5 मीटर चौड़ा व 72 मीटर लम्बा 360 वर्गमीटर कुल रास्ता भूमि 820 वर्गमीटर है, जिसका जिसका राजस्व नक्शा ट्रेस व पर्चा मौका

रिपोर्ट दिनांक 30.05.2024 संलग्न है, का रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात पर पहुंच हेतु कायम किया जावे। उक्त भूमि डीएलसी दर 13,66,856 रूपये प्रति हैक्टयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 820 वर्गमीटर की कुल मालियत 1,12,083 रूपये का दुगुना 2,24,166 रूपये अक्षरे दो लाख चौबीस हजार एक सौ छियासठ रूपये राशि प्रार्थी से वसूल कर अप्रार्थी को उपलब्ध करवायी जावे। उक्त राशि उपलब्ध कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा, केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार, भूपालसागर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला–चित्तौड़गढ़

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.29 13:28:43 IST
Reason: SelfAttested